झारखण्ड सरकार

वैधिक सहायता

उद्देश्य :–विधि न्यायालयों में दीवानी, फौजदारी एवं राजस्व मामलों से संबंधित मुकदमों में होने वाले खर्च के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों को कल्याण विभाग द्वारा वैधिक सहायता प्रदान करना इस योजना का उद्देश्य है।

स्वरूप :–इस सहायता के अन्तर्गत जहॉ एक पक्ष अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो तथा दूसरा पक्ष गैर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य हो तो वैसे मुकदमों में स्टाम्प शुल्क, कोर्टफीस, टंकण आदि कार्य पर होने वाला व्यय तथा अधिवक्ता को बहस के लिए दी जाने वाली अनुमान्य राशि का भुगतान किया जाता है।

प्रक्रिया :– प्रत्येक अनुमण्डल में अनुमण्डलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा इस योजना के लाभान्वितों का चयन किया जाता है।

नोट :–इस योजना में आवंटित राशि की तुलना में व्यय कम रहने के कारण इस योजना को सूदृढ़ करने के उद्देश्य से इसे Entitlement of Legal Service Act, 1987-Chapter-IV की योजना के साथ इस योजना को सम्बद्ध करने पर विचार किया जा रहा है।